<u>अपराधिक प्रकरण क्र० 130/2026</u>
<u>राज्य विरुद्ध</u> करन साहू

Witness No... **02**..... For .. **अभियोजन साक्षी**.....
Deposition taken the....**06/08/2026**....Day of .. **गुरूवार**..
Witness' apparent age..**42 वर्ष**.....States on oath.....
My name is **वरूण सिंह** **S/o** of **जितेन्दर सिंह** Occupation **मजदूरी**
Address **ग्राम पूंजीपथरा थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ (छ०ग०)**

<u>समय 01.30 बजे</u>

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओः–</u>

01. मै आरोपी करन साहू को नहीं जानता हूँ । मै आज से लगभग 2–3 माह पूर्व थाना पूंजीपथरा के पुलिस वाले मुझे थाना बुलाकर कुछ कागजातो पर हस्ताक्षर कराये थे । जहाँ पुलिस वालो के कहने पर कुछ कागजातो पर हस्ताक्षर कर दिया था । पुलिस वालो के कहने पर मुखबीर सूचना पंचनामा प्र०पी० 02, धारा 179 बी०एन०एस०एस० का नोटिस प्र०पी० 03, बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 04, जप्ती पत्रक प्र०पी० 05 एवं 06, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 07 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर कर दिया था ।

<u>नोटः- अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण स्वरुप प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, विचार बाद अनुमति दी गयी ।</u>

02. यह कहना गलत है कि आरोपी करन साहू के कब्जे से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्ती मेरे समक्ष की गई थी । यह कहना गलत है कि जप्ती कार्यवाही के संबंध में प्र०पी० 08 के अ से अ भाग का बयान पुलिस वालो को दिया था । यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मुझे नोटिस देकर घटना स्थल पर बुलाये थे एवं मौका नक्शा

बनाये थे । यह कहना गलत है कि आरोपीगण को बचाने के लिये मै झूठा कथन कर रहा हूँ ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती मंजली मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपी

03. यह कहना सही है कि घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । यह कहना सही है कि पुलिस वालो के कहने पर मैने हस्ताक्षर कर दिया था । यह कहना सही है कि पुलिस वालो को कोई बयान मैने नहीं दिया है ।यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे मुखबीर सूचना पंचनामा प्र०पी० 02, धारा 179 बी०एन०एस०एस० का नोटिस प्र०पी० 03, बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 04, जप्ती पत्रक प्र०पी० 05 एवं 06, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 07 पर कोरे कागज पर थाने में हस्ताक्षर कराये थे ।

समय 01.45 बजे समाप्त ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया।
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

गवाह का हस्ताक्षर

सही/-
(दामोदर प्रसाद चन्द्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
घरघोडा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

सही/-
(दामोदर प्रसाद चन्द्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
घरघोडा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

Witness No... **03**..... For .. **अभियोजन साक्षी**.....
Deposition taken the....**06/08/2026**....Day of .. **गुरूवार.**..
Witness' apparent age..**21 वर्ष**.....States on oath.....
My name is **रोशन कुमार** **S/o** of **प्रमोद साव** Occupation **मजदूरी**
Address **ग्राम पूंजीपथरा थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ (छ०ग०)**

समय 01.46 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओः–

01. मै आरोपी करन साहू को नहीं जानता हूँ । मै आज से लगभग 2–3 माह पूर्व थाना पूंजीपथरा के पुलिस वाले मुझे थाना बुलाकर कुछ कागजातो पर हस्ताक्षर कराये थे । जहाँ पुलिस वालो के कहने पर कुछ कागजातो पर हस्ताक्षर कर दिया था । पुलिस वालो के कहने पर मुखबीर सूचना पंचनामा प्र०पी० 02, धारा 179 बी०एन०एस०एस० का नोटिस प्र०पी० 03, बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 04, जप्ती पत्रक प्र०पी० 05 एवं 06, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 07 के ब से ब भाग पर हस्ताक्षर कर दिया था ।

नोटः- अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण स्वरुप प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, विचार बाद अनुमति दी गयी ।

02. यह कहना गलत है कि आरोपी करन साहू के कब्जे से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्ती मेरे समक्ष की गई थी । यह कहना गलत है कि जप्ती कार्यवाही के संबंध में प्र०पी० 09 के अ से अ भाग का बयान पुलिस वालो को दिया था । यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मुझे नोटिस देकर घटना स्थल पर बुलाये थे एवं मौका नक्शा

बनाये थे । यह कहना गलत है कि आरोपीगण को बचाने के लिये मै झूठा कथन कर रहा हूँ ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती मंजली मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपी

03. यह कहना सही है कि घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । यह कहना सही है कि पुलिस वालो के कहने पर मैने हस्ताक्षर कर दिया था । यह कहना सही है कि पुलिस वालो को कोई बयान मैने नहीं दिया है ।यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे मुखबीर सूचना पंचनामा प्र०पी० 02, धारा 179 बी०एन०एस०एस० का नोटिस प्र०पी० 03, बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 04, जप्ती पत्रक प्र०पी० 05 एवं 06, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 07 पर कोरे कागज पर थाने में हस्ताक्षर कराये थे ।

समय 01.55 बजे समाप्त ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया।
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

गवाह का हस्ताक्षर

सही/-
(दामोदर प्रसाद चन्द्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
घरघोडा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

सही/-
(दामोदर प्रसाद चन्द्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
घरघोडा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

<u>अपराधिक प्रकरण क्र० 130/2026</u>
<u>राज्य विरुद्ध</u> करन साहू

Witness No... **04**..... For .. **अभियोजन साक्षी**.....
Deposition taken the..**..06/08/2026**....Day of .. **गुरूवार.**..
Witness' apparent age...**53 वर्ष.**.....States on oath.....
My name is **राजकुमार पैंकरा S/o** of **स्व० खीखराम पैंकरा** Occupation **प्रधान आरक्षक** Address **थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ (छ०ग०)**

<u>समय 03.25 बजे</u>

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओ ।</u>

01. मै थाना पूजीपथरा में मार्च 2026 से वर्तमान तक प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ । विवेचना के दौरान दिनांक 03.06.2026 को हमराह स्टाफ 453 के साथ पेट्रोलिंग देहात भ्रमण हेतु पूंजीपथरा हेतु गया था जहाँ मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम समारूमा एक व्यक्ति मोटर सायकल क्रमांक CG 13 AS 2862 पूंजीपथरा से सामारूमा की ओर अवैध रूप कच्ची महुआ शराब परिवहन कर रहा है ।

02. उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ,एवं गवाहो को नोटिस देकर कार्यवाही में उपस्थित हेतु दिया गया । मुखबीर सूचना पंचनामा प्र०पी० 02 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । गवाहो को धारा 179 बी०एन०एस०एस० का नोटिस दिया गया था जो प्र०पी० 03 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 04 बनाया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । आरोपी से जप्तशुदा शराब एवं गाड़ी को जप्त कर जप्ती पत्रक जप्ती पत्रक प्र०पी० 05 एवं 06 बनाया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक 07 बनाया था जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है ।

03. साक्षी वरूण सिंह एवं रोशन कुमार का बयान उनके बताये अनुसार दर्ज किया था । घटना स्थल का मौका नक्शा प्र०पी० 10 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 11 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । प्रकरण में जप्तशुदा के परीक्षण हेतु आबकारी वृत्त घरघोड़ा को भेजा था । भेजी गई तहरीर प्र०पी० 12 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

04. प्रकरण से संबंधित रोजनामचा सान्हा की सत्याप्रति प्रति प्र०पी० 13 संलग्न किया हूं जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । घटना स्थल का ई साक्ष्य बनाकर धारा 64 (4)(c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत संलग्न किया गया जो प्र०पी० 14 है । विवेचना कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती मंजली मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपी

05. यह कहना सही है कि प्रथम सूचना पत्र लेखबद्ध एवं विवेचना मेरे ही द्वारा किया गया है । यह कहना सही है कि जप्तशुदा द्रव्य को जप्ती पश्चात कहाँ पर रखा गया था उसका उल्लेख प्रकरण में संलग्न नहीं है । यह कहना गलत है कि गवाह का हस्ताक्षर नजरी नक्शा, मुखबीर सूचना पंचनामा, बरामदगी पंचनामा, धारा 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस, जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक में हस्ताक्षर कोरे कागज में कराया था ।

06. यह कहना गलत है कि गवाह को उन सभी कागजातो को गवाहो को पढ़कर नहीं सुनाया था । यह कहना सही है कि गवाह वरूण सिंह एवं रोशन कुमार गांव

के प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है । साक्षी स्वतः कहता है कि घटना के समय जो व्यक्ति प्रस्तुत हुआ उसी का हस्ताक्षर कराये है । यह कहना सही है कि गवाह वरूण सिंह एवं रोशन कुमार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति को गवाह के रूप में नहीं रखा गया है ।

07. यह कहना सही है कि गवाह वरूण सिंह एवं रोशन कुमार थाने के पास ढाबा में काम करता है एवं थाना आना जाना लगा रहता है । यह कहना सही है कि घटना स्थल खुला स्थान है और वहाँ लोगो का आना जाना लगा रहता है । यह कहना गलत है कि गवाह वरूण सिंह एवं रोशन कुमार अपने काम के लिये कंपनी जा रहे है । यह कहना गलत है कि अभियुक्त को जबरदस्ती प्रकरण में संलग्न किया गया है ।

08. यह कहना गलत है कि आरोपी के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि जप्ती कार्यवाही करने के पूर्व कोई जामा तलाशी नहीं दिया गया था।यह कहना गलत है कि डब्बा में जबरदस्ती पानी मिलाकर अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण तैयार किया गया है । यह कहना गलत है कि धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस आरोपी को नहीं दिया गया था ।

09. यह कहना सही है कि आरोपी का पहचान पंचनामा प्रतिवेदन में कोई गवाह का हस्ताक्षर नहीं है । यह कहना गलत है कि गिरफ्तारी की सूचना, आरोपी का पहचान पंचनामा पर हस्ताक्षर थाना पर कोरे कागजातों पर किया गया यह कहना सही है कि दिनांक 04.06.2026 से 05.06.2026 तक जप्तशुदा द्रव्य को कहाँ पर रखा गया उसका उल्लेख प्रकरण में नहीं है ।

10. यह कहना गलत है कि दिनांक 05.06.2026 को जप्तशुदा द्रव्य को मुलाहिजा हेतु नहीं भेजा गया था । यह कहना गलत है कि रोजनामचा सान्हा में

हस्ताक्षर भ्रमण से आने के बाद थाना में बैठकर तैयार किया गया है । यह कहना गलत है कि जप्तशुदा द्रव्य को आबकारी कार्यालय दिनांक 04.06.2026 को नहीं भेजा गया था। यह कहना गलत है कि मै गवाहो का बयान थाना में बैठकर अपने मन से तैयार किया हूँ।

11. यह कहना सही है कि अनुसूची की धारा 63(4)(c) में स्थान देवघरा उल्लेख है । यह कहना गलत है कि उक्त अनुसूची की धारा 63(4)(c) प्रमाण पत्र को थाने में बैठकर तैयार किया गया था । यह कहना गलत है कि नजरी नक्शा को मेरे द्वारा थाना में बैठकर तैयार किया गया है । यह कहना गलत है कि मै घटना स्थल नहीं गया था । यह कहना गलत है कि मै आरोपी के विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया हूँ । यह कहना सही है कि मुखबीर सूचना पंचनामा प्र०पी० 02 में सूचना प्राप्ति होने का दिनांक, समय व स्थान को ओवर राईटिंग किया गया है ।

समय 04.10 बजे समाप्त ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

गवाह का हस्ताक्षर

सही/-
(दामोदर प्रसाद चन्द्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
घरघोडा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

सही/-
(दामोदर प्रसाद चन्द्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
घरघोडा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)